Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 12-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 20, 2018 (PHALGUNA 29, 1939 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2018

संख्या 1/13/2016–1पी.आर(एफ.डी).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, "अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में, नियम 1 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

("(2) ये नियम प्रथम जनवरी, 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे"।)

पि० राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 26th February, 2018

No.1/13/2016-1PR(FD).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Civil Services(Pay) Rules, 2016 in their application to the State of Haryana namely:-

1. These rules may be call the Haryana Civil Services(Pay) Amendment Rules, 2018.

2. In the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, for the sub rule(2) of rule 1, the following sub rule shall be substituted, namely:-

"(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2016."

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2018

संख्या 1/13/2016-1PR(FD).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, नियम (क) में,–

(i) खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(1) ''किसी पद का सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर'' से अभिप्राय है, विहित सेवाकाल और/अथवा कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय किसी पद के वृत्तिमूलक स्तर से उच्चतर वेतन स्तर। जहां किसी पद के एक से अधिक स्तर हैं, तो प्रथम वृत्तिमूलक वेतन स्तर होगा, आगामी तथा पश्चात्वर्ती सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर होगा;

टिप्पणी :– आठ वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा पूरी करने से पूर्व अनुज्ञेय एक से अधिक स्तर वाले पद (पदों) पर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति की तिथि से 16 तथा 24 वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा पूरी करने के बाद सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम के अधीन द्वितीय और/अथवा तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे बशर्ते उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान कुल तीन वित्तीय बढोतरियॉ पहले ही प्राप्त नहीं की हों।';

(ii) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(4) (क) किसी सरकारी कर्मचारी के ''मूल वेतन'' से अभिप्राय है;–

(i) वृतिमूलक/सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन; और

(ii) कोई अन्य परिलाभ जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी :– इसमें कोई अन्य किस्म का वेतन जैसे विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के बदले में या अलग घटक के रूप में अन्यथा प्रदान किया गया वेतन शामिल नहीं है;

(4क) ''सैल'' से अभिप्राय है, 100 के निकटत्तम गुणज से पूर्णांकित 3 प्रतिशत वृद्धि के साथ वृत्तिमूलक अथवा सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में विहित स्टेज;

(iii) खण्ड (6) में, ''वृत्तिमूलक वेतनमान का न्यूनतम'' शब्दों के स्थान पर, ''वृत्तिमूलक स्तर के प्रथम सैल'' शब्द को प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(7) सरकारी कर्मचारी के संबंध में ''वृत्तिमूलक स्तर या वृत्तिमूलक वेतन ढांचा'' से अभिप्राय है, उस द्वारा धारित पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में वृत्तिमूलक स्तर। इसका अभिप्राय कोई अन्य स्तर नहीं है जिसमें सरकारी कर्मचारी किसी अन्य न्यायोचित्य जैसे सेवा काल, या उच्चतर/अतिरिक्त योग्यता या किसी अन्य कारण से वेतनमान की बढोतरी, से उसे वैयक्तिक उपाय के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहा है, '';

(v) खण्ड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(8)(क)'' वेतनवृद्धि'' से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को लागू स्तर में एक सैल से दूसरे सैल में वेतन में वृद्धि जो वेतन स्तर में किसी वृद्धि के बिना विहित अर्हक सेवा के पूरा होने के अध्यधीन विहित तिथि को अनुज्ञेय है और यह सामान्य प्रक्रिया में अनुज्ञेय रहेगी, जब तक इसे रोका नहीं जाता है;'';

(vi) खण्ड 8 के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'8क ''स्तर'' से अभिप्राय है, वर्णाकूल सैलों में क्रमबद्ध कोई वेतनमान।'।

(vii) खण्ड (11) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(11) ''वेतन मैट्रिकस'' से अभिप्राय है, अनुरूप वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान, जो प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व विद्यमान थे, से यथा समनुदेशित वर्णाकूल सैलों में क्रमबद्ध वेतन के स्तरों सहित अनुसूची–I (इन नियमों के अन्त में संलग्न) में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;'।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, ''किसी पद पर प्रथम नियुक्ति पर, प्रवेश स्तर वेतन के निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, " किसी पद पर प्रथम नियुक्ति पर, प्रवेश स्तर वेतन वृत्तिमूलक स्तर की प्रथम सैल पर नियत किया जाएगा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''10. वृत्तिमूलक/सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर से उच्चतर या समान किसी पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन का नियतन .– हरियाणा सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग में वृत्तिमूलक अथवा सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर से उच्चतर या समान स्तर वाले किसी पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, जहाँ उसके लिए आवेदन–

(i) उचित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वेतन नियम 9 के अधीन अनुज्ञेय पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के प्रवेश स्तर पर नियत किया जाएगा;

(ii) उचित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तो वेतन निम्नानुसार में नियत किया जाएगा, अर्थात् :

(क) पद के प्रवेश स्तर वेतन पर; या

(ख) अनुरूप सैल के बराबर नियत किया जाएगा यदि नये पद के वृत्तिमूलक स्तर में उपलब्ध है; या

(ग) विद्यमान सैल से आगामी सैल पर यदि नये पद के वृत्तिमूलक स्तर में समरूप सैल उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी 1.– जहाँ वेतन प्रवेश स्तर वेतन के बराबर नियत किया गया है, तो उपरोक्त (i) तथा (ii) दोनों मामलों में अलगी वेतनवृद्धि की तिथि, उस तिथि से पूर्व न्यूनतम छह मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रथम जनवरी अथवा प्रथम जुलाई होगी।

टिप्पण 2.– जहाँ वेतन स्तर में वेतन पहले से लिए जा रहे वेतन के बराबर नियत किया गया है, तो उपरोक्त (ii) में अगली वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं की जाएगी। तथापि, जहाँ उपरोक्त खण्ड (ग) के उप–खण्ड (ii) के अधीन वेतन नियन किया गया है, तो अगली वेतनवृद्धि की तिथि, उसी तिथि से पूर्व न्यूनतम छह मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रथम जनवरी अथवा प्रथम जुलाई होगी।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"11. वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर से निम्नतर किसी पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन का नियतन.– हरियाणा सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में निम्नतर स्तर के किसी एक पद से दूसरे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर उच्चतर स्तर (वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति) में वेतन लेते समय वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा–

(i) नियम 9 में दिए गए उपबन्ध के अनुसार प्रवेश स्तर वेतन के बराबर, यदि उचित प्रणाली के माध्यम से आवेदन नहीं किया है; या

(ii) तत्समय विद्यमान समान या उच्चतर वेतन ढांचे में पूर्व अर्हक सेवा का केवल वेतनवृद्धि के संबंध में अप्रयोगमूलक लाभ देते हुए पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के वेतन ढांचे में, बशर्ते पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन उचित प्रणाली के माध्यम से किया गया था। तथापि, निम्नतर वेतन ढांचे की पूर्व अर्हक सेवा, यदि कोई हो, की पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के उच्चतर वेतन ढांचे की वेतनवृद्धि के लिए गणना नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 1.– जहाँ वेतन (i) के अधीन नियत किया गया है, तो अगली वेतनवृद्धि की तिथि, पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद पर उस तिथि से पूर्व न्यूनतम छह मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई होगी।

टिप्पणी 2.– जहाँ वेतन (ii) के अधीन नियत किया गया है, तो अगली वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं की जाएगी।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 12 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "स्तर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"13. पदोन्नत पद पर वेतन का नियतन.– वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर से उच्चतर स्तर के किसी संवर्ग पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर, वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा,–

(i) स्तर, जिससे कर्मचारी पदोन्नत किया गया है, में एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ और वह पदोन्नत पद के स्तर में इस प्रकार प्राप्त राशि के बराबर सैल में रखा जाएगा और यदि उस स्तर में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे आगामी उच्चतर सैल में रखा जाएगा; या

(ii) पदोन्नत पद के प्रवेश स्तर वेतन के बराबर,

जो भी उच्चतर हो।

टिप्पणी 1.– अगली वेतनवृद्धि की तिथि के लिए निम्नलिखित नियम 37 देखिए।

टिप्पणी 2.– जहाँ किसी फीडर पद के लिए पदोन्नति की दो या अधिक लाइनें है, तो ऐसे मामले में, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, फीडर पद से किसी पद पर पदोन्नति किसी संवर्ग पद पर पदोन्नति के रूप में समझी जाएगी। तथापि, पदोन्नति की लाइन के परिवर्तन पर, पूर्व पदोन्नत पद की सेवा किसी बाह्य संवर्ग पद पर सेवा के रूप में समझी जाएगी तथा परिवर्तित लाइन के पद पर वेतन फीडर पद के प्रकल्पित वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जाएगा, जिसकी ज्येष्ठता परिवर्तित लाइन से किसी पद पर पदोन्नति के समय ध्यान में रखी गई है।

उदाहरण.– वृत्तिमूलक स्तर में वेतन लेते समय और आशलिपि का ज्ञान रखने वाला कोई लिपिक आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था। आशुलिपिक के पद पर उसका वेतन पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ नियत किया जाएगा। आशुलिपिक के रूप में कार्य करते समय वह सम्बन्धित सेवानियमों के उपबन्ध के अनुसार लिपिक के पद की उसकी ज्येष्ठता के सन्दर्भ में सहायक के पद पर पदोन्त किया गया था। सहायक के पद पर उसका वेतन, सहायक के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि पर लिपिक के वेतनमान में उसे अनुज्ञेय उसके प्रकल्पित वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जाएगा। आशुलिपिक के रूप में उस द्वारा दी गई सेवा बाह्य संवर्ग पद पर सेवा के रूप में समझी जाएगी।''।

8. उक्त नियमों में, नियम 14 का लोप कर दिया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''15. एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुज्ञेय होगा जहाँ फीडर तथा पदोन्नत पदों का वृत्तिमूलक वेतन ढांचा प्रथम अप्रैल, 1979 से या इसके बाद संयोजित/विलयन किया गया है और वर्तमान में दोनों पदों का वेतनस्तर समान है।

टिप्पण.– इस नियम के अधीन अनुज्ञेय लाभ हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2016 के अधीन लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए वित्तीय बढ़ोतरी के रूप में समझा जाएगा।''।

10. उक्त नियमों में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''16. एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी जहाँ फीडर तथा पदोन्नति पदों का वृत्तिमूलक वेतन ढांचा प्रथम अप्रैल, 1979 से पूर्व या पद (फीडर/पदोन्नति) के सृजन की तिथि से समान/समरूप थे; और वर्तमान में दोनों पदों का वेतन ढांचा भी समान है। ऐसे मामलों में, एक पद से दूसरे पर पदोन्नति होने पर, वेतन तथा वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं की जाएगी।

टिप्पण.– चूंकि पदोन्नति पद का वेतनमान फीडर पद से कभी भी उच्चतर नहीं रहा है, इसलिए पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा।''।

11. उक्त नियमों में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''17. उच्चतर काल–वेतनमान/स्तर के बदले में विशेष वेतन लेते समय पदोन्नति या पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन.– (1) उच्चतर काल–वेतनमान स्तर के बदले में विशेष वेतन सहित वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन लेते समय समरूप, उच्चतर या निम्नतर स्तर के एक पद से दूसरे पर पदोन्नति या पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, वेतन सुसंगत नियम के उपबन्ध के अनुसार नियत किया जाएगा।

(2) फीडर या पूर्व पद के उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन में संपरिवर्तित किया जाएगा जो आगामी वेतनवृद्धि में शामिल किया जाएगा बशर्ते उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में पदोन्नत पद या पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के वेतन उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में फीडर पद का विशेष वेतन उस पदोन्नत पद या पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के विशेष वेतन से अधिक है, तो विशेष वेतन का अन्तर वैयक्तिक वेतन में संपरिवर्तित किया जाएगा जो आगामी वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) में शामिल किया जाएगा।

(3) उपरोक्त नियत वेतन, पदोन्नति पद के प्रवेश स्तर वेतन से कम नहीं होगा।

टिप्पण 1.–यदि फीडर या पूर्व पद के उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में विशेष वेतन, उस पदोन्नत पद या पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के विशेष वेतन से अधिक है, तो दोनों पदों के विशेष वेतन के बिच के अन्तर को वैयक्तिक वेतन में संपरिवर्तित किया जाएगा जो आगामी वेतनवृद्धि में शामिल किया जाएगा।

टिप्पण 2.–पदोन्नति या पश्चात्वर्ती नियुक्ति से पूर्व लिए जा रहे कठिन प्रकार के कर्त्तव्यों का विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 3.–जहाँ फीडर या पूर्व पद के साथ उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में विशेष वेतन है और पदोन्नत पद या पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के साथ कठिन प्रकार के कर्त्तव्यों का विशेष वेतन है, तो उच्चतर काल–वेतनमान के बदले में विशेष वेतन का वैयक्तिक वेतन में संपरिवर्तित किया जाएगा जो आगामी वेतनवृद्धि में शामिल किया जाएगा।''।

12. उक्त नियमों में, नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"18. (1) वृत्तिमूलक स्तर में वेतन लेते समय लोकहित में समयपूर्व पदोन्नति (अर्थात् विहित अनुभव के पूरा करने से पूर्व पदोन्नति) पर विहित अनुभव की कमी को पूरा करने की तिथि तक की अवधि के लिए वेतन निम्नलिखित के बराबर नियत किया जाएगा–

(i) पदोन्नत पद का प्रवेश स्तर वेतन; या

(ii) फीडर पद के स्तर में प्रकल्पित वेतन,

जो भी अधिक हो।

(2) विहित अनुभव पूरा होने के बाद वेतन सामान्य नियमों के अधीन पुनः नियत किया जाएगा, मानो पदधारी उस दिन को पदोन्नति किया गया है। पदोन्नत पद के वेतन के पुनः नियतन के समय, फीडर पद का प्रकल्पित मूल वेतन विचार में लाया जाएगा।

टिप्पण.– प्रकल्पित पदोन्नति की तिथि से सेवा की अवधि आगामी पदोन्नति, यदि कोई हो, के लिए गिनी जाएगी।"।

13. उक्त नियमों में, नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"19. पदावनति के बाद उसी पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर वेतन.– पूर्व में धारित पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर, पदोन्नत पद पर वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा

(i) पूर्व समय पर पहले से प्राप्त किए गए सैल पर, या

(ii) नये सिरे से पदोन्नति की दशा में उन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय,

जो भी अधिक हो।

उपरोक्त (i) के रूप में नियतन की दशा में, पूर्व में लिए जा रहे सैल में समान वेतन की अर्हक सेवा की अवधि पदोन्नत पद की सामान्य वेतनवद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम छह माह की अर्हक सेवा की संगणना करते समय हिसाब में ली जाएगी। तथापि, उपरोक्त (ii) की दशा में, वार्षिक वेतनवृद्धि, सामान्य नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

टिप्पण.– 'समान पद' में समान स्तर के अन्तर्बदल पदोन्नत पद भी शामिल हैं।"।

14. उक्त नियमों में, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"20 सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन लेते समय पदोन्नति पर वेतन पदोन्नति के समय लिए जा रही सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर से उच्चतर स्तर के पद पर पदोन्नति के समय, वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा–

(i) फीडर पद पर सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में पदोन्नति पद के स्तर पर एक वेतनवृद्धि सहित; या

(ii) पदोन्नति पद का प्रवेश वेतन स्तर,

जो भी अधिक लाभकारी हो। तथापि, पदोन्नति का ऐसा लाभ वहां अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पदोन्नत पद का स्तर सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर जिसमें सरकारी कर्मचारी पदोननति से पूर्व उसका वेतन ले रहा है।

टिप्पण.– यदि पदोन्नत पद का वृतिमूलक स्तर पहले से लिए जा रहे सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर के समरूप है, तो सुनिश्चत जीविका प्रगति स्तर की नामपद्धति वृत्तिमूलक स्तर में परिवर्तित की जाएगी।"।

15. उक्त नियमों में, नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"21. वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन का पुनः नियतन.–

(i) फीडर पद के वृत्तिमूलक स्तर में प्रकल्पित वेतन में, वेतनवृद्धि या अन्यथा के कारण, वृद्धि पर, पदोन्नत पद पर कार्य करते समय, पदोन्नत पद का वेतन पुनः नियत किया जाएगा, मानों पदधारी ऐसी वृद्धि की तिथि को पदोन्नत हुआ है, यदि यह उसके लिए लाभदायक है।

(ii) वेतन के पुनः नियतन का समरूप लाभ सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर के प्रकल्पित वेतन में वृद्धि पर भी अनुज्ञेय होगा जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन प्राप्त करते समय उच्चतर पद पर पदोन्नत हुआ है।"।

16. उक्त नियमों में, नियम 22 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "स्तर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियमों में, नियम 23 का लोप कर दिया जाएगा।

18. उक्त नियमों में, नियम 24 का लोप कर दिया जाएगा।

19. उक्त नियमों में, नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"25. (1) उसी या किसी अन्य विभाग में उच्चतर वेतन ढांचे के बाह्य संवर्ग पद पर लिया गया वेतन मूल संवर्ग के किसी पद पर वापस आने पर संरक्षित नहीं होगा। तथापि, संवर्ग पद के समरूप या उससे उच्चतर स्तर में बाह्य संवर्ग पद की अर्हक सेवा की अवधि संवर्ग पद (पदों) के स्तर में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी। वापसी पर, वेतन

प्रकल्पित मूल वेतन के आधार पर पुनः नियत किया जाएगा जो अनुज्ञेय होता यदि नियुक्ति बाह्य संवर्ग पर नहीं की गई होती।

(2) निम्नतर स्तर के बाह्य संवर्ग पद से उच्चतर स्तर के संवर्ग पद पर पदावनत पर, वेतन निम्नलिखित के बराबर नियत किया जाएगा–

(i) संवर्ग पद के स्तर में पूर्व समय पर अन्तिम लिए गए वेतन; या

(ii) बाह्य संवर्ग पद के सैल, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा संवर्ग पद के स्तर में आगामी सैल,

जो भी अधिक लाभदायक हो।''।

20. उक्त नियमों में, नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''26. उच्चतर से निम्नतर स्तर या पदोन्नत से फीडर पद पर पदावनत होने पर वेतन.– वृत्तिमूलक स्तर में वेतन प्राप्त करते समय, उसकी स्वयं की सहमति पर या प्रशासकीय कारणों से, एक पद से निम्नतर स्तर के दूसरे पद पर पदावनत होने पर, किन्तु दण्ड के रूप में नहीं, वेतन, उस वेतन के बराबर नियत किया जाएगा जो पदावनत की तिथि पर फीडर पद के निम्नतर स्तर में अनुज्ञेय होता, यदि पदोन्नति या नियुक्ति उच्चतर स्तर के पद पर नहीं की जाती। उच्चतर स्तर की अर्हक सेवा फीडर पद के स्तर में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।"।

21. उक्त नियमों में, नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''27. प्रथम जनवरी, 2016 के बाद स्तर के रूपान्तरण पर वेतन.– (1) किसी भी मामले में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, प्रथम जनवरी, 2016 के बाद की तिथि से स्तर के रूपान्तरण पर, रूपान्तरित स्तर, रूपातरण या सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्पों की तिथि से अनुज्ञेय होगा।

(2) प्रथम जनवरी, 2016 के बाद की तिथि से स्तर के रूपान्तरण पर, वेतन समरूप सैल में नियत किया जाएगा, यदि रूपान्तरित स्तर में उपलब्ध है अन्यथा आगामी सैल में किन्तु रूपान्तरित स्तर के प्रथम सैल से कम नहीं होगा।

टिप्पण.– जहाँ रूपान्तरित स्तर में वेतन पूर्व रूपान्तरित स्तर में पहले से ही प्राप्त कर रहे वेतन से अधिक नियत किया जाता है तो आगामी वेतनवृद्धि की तिथि पात्रता के अध्यधीन प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई होगीं। यदि वेतन समरूप सैल में नियत किया जाता है, तो ऐसे मामले में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं होगी।

(3) प्रथम जनवरी, 2016 के बाद की तिथि से किसी पद के स्तर का रूपान्तरण होने पर, उस पद की प्रथम/द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के वेतन स्तर के समरूप होगा। जहाँ रूपान्तरित वृत्तिमूलक स्तर, वृत्तिमूलक स्तर के रूपान्तरण की तिथि से बाद की किसी तिथि से सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान करने पर, सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर के समान या उच्चतर है, तो वेतन स्तर के समरूप नियत किया जाएगा जिस पर यह अनुज्ञेय हुआ होता यदि वृत्तिमूलक स्तर रूपान्तरित नहीं किया जाता, यदि समरूप स्तर उपलब्ध नहीं है, तो तुरन्त आगामी स्तर में। नामपद्धति वृत्तिमूलक से सुनिश्चित जीविका प्रगति में परिवर्तित की जाएगी।''।

22. उक्त नियमों में, नियम 28 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''28. स्तर के रूपान्तरण पर वेतन का नियतन.– (1) स्तर (वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति) के रूपान्तरण पर, वेतन के नियतन के लिए या तो रूपान्तरण की तिथि से या आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से, जो भी अधिक लाभदायक हो, रूपान्तरण आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी से विहित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो स्तर के रूपान्तरण की तिथि वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए उसके विकल्प की तिथि के रूप में समझी जाएगी।

(2) जहाँ रूपान्तरित स्तर का चुनाव आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से किया जाता है, तो ऐसे मामले में पूर्व रूपान्तरित स्तर में विद्यमान वेतन उस तिथि तक अनुज्ञेय होगा।

(3) विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अन्तिम होगा तथा जहाँ वेतन स्तर के रूपान्तरण के प्रभाव की तिथि से पूर्व की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से नियत किया जाता है, के सिवाए किन्हीं भी परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होगा।"।

23. उक्त नियमों में, नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''29. "(1) कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत अधीनस्थों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वेतनवृद्धि अनुज्ञात करने में सक्षम प्राधिकारी होगा। कार्यालयाध्यक्ष की वेतनवृद्धि आगामी पदनिहित उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाएगी।

(2) सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि को उच्चतर स्तर के किसी पद पर पदोन्नति होने पर, प्रथम फीडर पद के स्तर में सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी, यदि उस दिन को नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है, इसके बाद, वेतन पदोन्नत पद के स्तर में नियत किया जाएगा।

(3) सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई पर सामान्य वेतनवृद्धि, पात्रता के अध्यधीन, निम्नलिखित रूप में सरकारी कर्मचारी को प्रदान की जाएगी–

(क) वास्तव में, अवकाश पर नहीं होते हुए, मृत्यु की दशा में प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई; तथा

(ख) अप्रयोगमूलक रूप में, अवकाश पर रहते हुए, मृत्यु की दशा में प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को या के बाद बशर्ते उसे अनुज्ञात हुई होती यदि वह मृत्यु की तिथि पर ड्यूटी पर हुआ होता।

(4) अग्रिम या अप्रशमनीय वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) जो कतिपय परीक्षा, उच्चतर अर्हकता पास करने या अन्यथा के परिणाम स्वरूप प्रदान की जाती है, सुसंगत नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, आदेश जारी करते हुए विनियमित की जाएगी।

टिप्पणी.– किसी सरकारी कर्मचारी को वेतनवृद्धि का कोई लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा जो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, को सेवा में नहीं है। "।

24. उक्त नियमों में, नियम 30 में,–

(i) विद्यमान खंड (क) तथा (ख), क्रमशः खंड (ख) तथा (ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किए जाएंगें;

(ii) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(क) उपरोक्त नियम 8(16) में अर्हक के रूप में समझी गई सेवा अवधि;''।

25. उक्त नियमों में, नियम 30 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगी, अर्थात् :–

"31. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि की दर.– वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि वेतन मैट्रिक में लागू स्तर के वर्णाकूल सैलों में विनिर्दिष्ट की जाएगी।"।

26. उक्त नियमों में, नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"32. वेतनवृद्धि की तिथि.– (1) वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए दो तिथियाँ होगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई :

परन्तु सरकारी कर्मचारी उसकी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय बढ़ोतरी प्रदान करने की तिथि पर निर्भर रहते हुए या तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए हकदार होगा :

परन्तु यह और कि कोई सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जुलाई या प्रथम जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को देय सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि से पूर्व छह मास की अर्हक सेवा पूरी नहीं करता है, तो उसकी वेतनवृद्धि की तिथि प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, में परिवर्तित हो जाएगी तथा ग्राह्यता के अध्यधीन प्रदान की जाएगी।

(2) किसी सरकारी कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि, जिसे निम्नलिखित अवधि के बीच के दौरान नियुक्त या पदोन्नत किया गया है या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान किया गया है–

(i) जनवरी का द्वितीय दिन और जुलाई का प्रथम दिन (दोनों शामिल करते हुए) जनवरी का प्रथम दिन होगी;

(ii) जुलाई का द्वितीय दिन और जनवरी का प्रथम दिन (दोनों शामिल करते हुए) जुलाई का प्रथम दिन होगी।''।

27. उक्त नियमों में, नियम 33 में, ''प्रथम जुलाई'' शब्दों, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

28. उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''34. यदि प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को अवकाश है तो वेतनवृद्धि की तिथि.– जब कोई सरकारी कर्मचारी, जो नियुक्ति या पदोन्नत किया गया है, अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अन्यथा समर्थ है किन्तु प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को पडने वाली छुट्टी या छुट्टियों के अनुक्रम के कारण पदग्रहण नहीं कर सका, तथा जनवरी तथा, जुलाई मास के प्रथम कार्य दिवस को दोपहर से पूर्व अर्थात् 2 जनवरी अथवा 2 जुलाई को या के बाद पद ग्रहण करता है, तो सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस वर्ष की 30 जून या 31 दिसम्बर तक छह मास की अर्हक सेवा पूरी कर ली गई समझी जाएगी बशर्ते कि वह प्रथम जुलाई या प्रथम जनवरी की छुट्टीयों के अनुक्रम नहीं होता। तथापि, वेतन वास्तव में ड्यूटी ग्रहण करने की तिथि से अनुज्ञेय होगा तथा प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई से नहीं। सभी अन्य मामलों में, वेतनवृद्धि की तिथि उस तिथि से पहले छह मास की अर्हक सेवा के पूर्ण होने के अध्यधीन प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई होगी।''

29. उक्त नियमों में, नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"35. जहां आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से पूर्व अर्हक सेवा, कोई भी कारण हो, जैसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना असाधारण अवकाश, अकार्य दिवस की अवधि, अनिर्णीत निलम्बन अवधि, गैर–ड्यूटी के रूप में निलम्बन अवधि का प्रतिपादन, अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि इत्यादि, छह मास से कम है, तो यह वेतनवृद्धि को मुल्तवी करने का प्रभाव

रखेगी और ऐसा मामला प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को पुनः विचारा जाएगा और वेतनवृद्धि उस तिथि से पूर्व न्यूनतम छह मास की अर्हक सेवा पूरी करने के अध्यधीन प्रदान की जाएगी।''।

30. उक्त नियमों में, नियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''36. ड्यूटी के दौरान प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को वेतनवृद्धि.– जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी आगामी वेतनवृद्धि (अर्थात् प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को) की तिथि को वास्तव में कार्यालय में उपस्थित नहीं है किन्तु नियमों के अधीन वह डयूटी पर है, जैसे प्रशिक्षण, दौरे, अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, पदग्रहण काल प्राप्ति, लम्बी छुट्टी या अन्यथा, तो सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी यदि वह अन्यथा अनुज्ञेय होती यदि वह उस दिन कार्यालय में होता।''।

31. उक्त नियमों में, नियम 37 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''37. अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करना.– किसी सरकारी कर्मचारी, जो असाधारण मैरिट के कार्य का निष्पादन करता है, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) के बजाए अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्रदान की जा सकती है/हैं–

(i) सम्बद्ध सरकार कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक न हो;

(ii) उसे समय–समय पर, लागू हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 अथवा 8 के अधीन कभी भी दण्डित नहीं किया गया हो;

(iii) सम्पूर्ण सेवा रिकार्ड, जो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए मानदण्ड है, के रूप में एक या अधिक एकल घटनाओं पर प्रदान नहीं की जाएगी;

(iv) प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई से तथा सीमित अवधि अर्थात् आगामी वेतनवृद्धि की तिथि तक के लिए दी जाएगी।''।

32. उक्त नियमों में, नियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''38. जहां किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर, सेवा नियमों में उपबन्ध के अनुसार सामान्य वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए कोई विभागीय परीक्षा या अन्य शर्तों को पूरा करने की कोई पूर्वापेक्षा है तथा उसे प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, को देय प्रथम वेतनवृद्धि की तिथि से पूर्व अर्हक/पूरी कर ली है, तो सामान्य वेतनवृद्धि प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, यदि अन्यथा अनुज्ञेय न हो, की प्रदान की जाएगी। यदि उसे उसके बाद अर्हक किया गया है, तो वेनतवृद्धि (वेतनवृद्धियां) समय–समय पर लागू दर पर देय तिथि (तिथियों) से अप्रयोगमूलक आधार पर प्रदान की जाएगी/ जाएंगी और वास्तविक रूप में परीक्षा (परीक्षाओं) में उपस्थिति की अन्तिम तिथि, जो अर्हक की है। की गई है, से प्रदान की जाएगी/जाएंगीः

परन्तु किसी ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर, फीडर पद का प्रकल्पित मूल वेतन, यदि अधिक लाभदायक है, अनुज्ञेय होगा जब तक पदोन्नत पद की सामान्य वेतनवृद्धि के लिए विहित विभागीय परीक्षा अर्हित नहीं की जाती या अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया जाता।''।

33. उक्त नियमों में, नियम 39 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''39. स्तर के अधिकतम के बाद वेतनवृद्धि.– जहां कोई सरकारी कर्मचारी स्तर के अधिकतम पहुंच जाता है, तो वह उसके स्तर के अधिकतम या अन्तिम सैल से अधिक किसी वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा।"।

34. उक्त नियमों में, नियम 40 में, ''प्रथम जुलाई'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

35. उक्त नियमों में, नियम 41 में, व्याख्या 1 तथा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"व्याख्या 1.– यदि बिना संचयी प्रभाव के तीन वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया है, तो वे प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, को देय आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से प्रभावी होगा। ऐसे मामलों में सामान्य वेतनवृद्धि निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए अप्रयोगमूलक रूप में तथा वास्तव में पूर्व में अप्रयोगमूलक रूप से प्रदान की गई तीन वेतनवृद्धियों के प्रत्यावर्तन सहित चौथे वर्ष की प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, यदि अन्यथा से अनुज्ञेय न हों, से प्रदान की जाएंगी।

व्याख्या 2.– यदि संचयी प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया है, तो निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए कोई सामान्य वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। चौथे वर्ष की प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई पर, केवल एक वेतनवृद्धि अनुज्ञात की जाएगी, यदि अन्यथा से अनुज्ञेय न हो।"।

36. उक्त नियमों में, नियम 43 में, "वेतन बैंड" शब्दों के स्थान पर "स्तर'' तथा ''स्तर" शब्द, जहां कहीं भी आये, के स्थान पर, "सैल'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

37. उक्त नियमों में, नियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"44. निम्नतर पद या स्तर में पदावनयन.– (क) वृतिमूलक स्तर में **वेतन लेते समय** समय.– दण्ड के रूप में किसी फीडर पद पर पदावनयन पर, वेतन निम्नलिखित रूप में प्रकल्पित वेतन के बराबर नियत किया जाएगा–

(i) फीडर पद के वृत्तिमूलक स्तर में, जो उसे अनुज्ञेय हुआ होता यदि पदोन्नत नहीं हुआ होता; या

(ii) फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में एक स्तर नीचे यदि वह फीडर पद, जो दण्ड के समय पर धारित पदोन्नत पद के वृत्तिमूलक स्तर के समरूप है, के सुनिश्चत जीविका प्रगति स्तर में वेतन प्राप्त करते समय पदोन्नत हुआ था।

एक बार वेतन निम्नतर स्तर में नियत कर दिया जाता है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) सामान्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय होगी/होंगी। उसी पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर, दोनों मामलों में वेतन नियम 19 के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(ख) सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन लेते समय.–

यदि निम्नतर स्तर पर पदावनयन का दण्ड निम्नानुसार वेतन प्राप्त करते समय दिया गया है,–

(i) धारित पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में; या

(ii) फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में, किन्तु पदोन्नत/उच्चतर पद पर कार्य कर रहा है,

तो अन्तिम प्रदान किया गया सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर स्वतः वापस लिया गया समझा जाएगा। ऐसे मामले में, वेतन वृत्तिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में प्रकल्पित वेतन के बराबर नियत किया जाएगा जो उसे अनुज्ञेय हुआ होता यदि अन्तिम सुनिशिचित जीविका प्रगति स्तर प्रदान नहीं किया हुआ होता। दण्ड की अवधि पूरी होने पर, वेतन सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जाएगा किन्तु दण्ड के समय पर पहले से प्राप्त किए गए वेतन से कम नहीं होगा।"।

38. उक्त नियमों, में नियम 45 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"45. वेतनवृद्धि रोकने, निम्नतर पदों/स्तर पर अवनति या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर वापस लेने की शास्ति अधिरोपित वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सुनिश्चित तथा स्पष्ट होगा तथा नीचे दिए गए स्वरूप अनुसार होगाः–

इसलिए, यह आदेश किया जाता है कि श्री ..... को संचयी प्रभाव/संचयी प्रभाव के बिना ..... वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) रोकने का दण्ड दिया गया है। दण्ड चालू रहने का प्रभाव स्वतः बढ़ जाएगा यदि वह प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को देय कोई सामान्य वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) के लिए अन्यथा से अपात्र हो जाता है। दण्ड का प्रभाव तब भी जारी रहेगा यदि दण्ड की अवधि के दौरान किसी भी कारण से स्तर परिवर्तित हो जाता है।

अथवा

श्री ..... को दिनांक ..... से ..... तक की अवधि के लिए उसके स्तर में .... रूपए से ..... रूपए के सैल में वेतन में कमी करने का दण्ड दिया गया है। वह दण्ड अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेगा। आगे, उसका वेतन दण्ड अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात् वेतन, जो उसे अनुज्ञेय हुआ होता यदि उसे यह दण्ड नहीं दिया गया होता या दण्ड से पूर्व पहले से लिए जा रहे वेतन के बराबर नियत किया जाएगा।

अथवा

श्री ..... को सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर वापस लेने का दण्ड दिया गया है वह प्रकल्पित मूल वेतन प्राप्त करेगा जो उसे अनुज्ञेय होता यदि अन्तिम सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान नहीं किया होता जिसे .... से ..... की अवधि के लिए वापस लिया जा रहा है।

अथवा

श्री ..... को ..... पद से ..... के पद पर अवनति का दण्ड दिया गया है। .... पद, जिससे उसे अवनत किया गया है, के स्तर में उसका वेतन, प्रकल्पित वेतन, जो उसे अनुज्ञेय होता यदि उसे पदोन्नत पद पर नियुक्ति नहीं किया गया होता, के बराबर नियत किया जाएगा।"।

39. उक्त नियमों में, नियम 46 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"46 वेतन का पुनः नियतन जब दण्ड का कोई आदेश रद्द या रूपान्तरित किया जाता है.– जहां वेतनवृद्धि रोकने, निम्नतर पद/सेवा पर अवनति, वेतन में कटौती, सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर वापस लेने की शास्ति के किसी आदेश को अपील या पुनरीक्षण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या रूपान्तरित किया जाता है, तो इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वेतन, निम्नलिखित रीति में विनियमित किया जाएगाः–

(क) यदि उक्त आदेश रद्द किया जाता है, तो वेतन के बीच का अन्तर, जो अनुज्ञेय होता यदि दण्ड नहीं दिया गया होता, ऐसी अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके दौरान दण्ड लागू रहा;

(ख) यदि उक्त आदेश रूपान्तरित किया जाता है, तो वेतन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा मानों रूपान्तरित आदेश प्रथम बार किया गया हो।

व्याख्या.– यदि वेतन सक्षम पुनरीक्षण या अपील प्राधिकारी के आदेशों के जारी होने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में पुनः नियत किया जाता है, तो उस अवधि के दौरान अनुज्ञेय देय तथा प्राप्ति (यात्रा भत्ता से भिन्न), यदि कोई हो, के अन्तर का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पण 1 .– इस नियम के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, दण्ड प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से सक्षम पुनरीक्षण या अपील प्राधिकारी द्वारा शास्ति रद्द करने वाले आदेश की तिथि तक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) रोकने के कारण निम्नतर स्तर, पद या निम्नतर सैल की अर्हक सेवा उस पद के लिए वेतनवृद्धि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी, जिसको शास्ति के अधिरोपण से तुरन्त पूर्व धारित किया हुआ था अथवा कोई अन्य पद जो धारित किया गया होगा किन्तु शास्ति के आदेश हेतु।

टिप्पण 2 .– इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, दण्ड प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से सक्षम पुनरीक्षण या अपील प्राधिकारी द्वारा किए गए रूपान्तरित आदेश की तिथि तक की अर्हक सेवा उस सीमा तक, जहां तक ऐसी गणना करने के लिए रूपान्तरित आदेश अनुमति देता है, उस पद के लिए वेतनवृद्धि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी जिसको शास्ति के अधिरोपण से तुरन्त पूर्व धारित किया हुआ था या अथवा कोई अन्य पद जो धारित किया गया होगा किन्तु शास्ति के आदेश हेतु।

उदाहरण.– स्तर 14 से स्तर 12 में कोई अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए अवनत किया जाता है और छह मास के बाद, स्तर 12 के निम्नतर पद पर अवनति के दण्ड का आदेश अपील प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, तो छह मास की अवधि, दण्ड से पूर्व धारित स्तर 14 में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी। यदि, दूसरी तरफ, शास्ति का आदेश विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी निम्नतर स्तर पर अवनति या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस स्तर में वेतनवृद्धि रोकने के रूप में रूपान्तरित किया जाता है, तो मूल शास्ति के अधिरोपण की तिथि से पहले समाप्त हो चुकी अवधि केवल रूपान्तरित आदेश के अधीन शास्ति की विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

टिप्पण 3.– दण्ड के रूप में निम्नतर पद/सेवा पर अवनत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिक्त किया गया पद ऐसी अवनति की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक नहीं भरा जाएगा। जहां एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर पद भरा जाता है तथा पद का मूल पदधारी उसके बाद बहाल किया जाता है, तो वह ऐसे पद पर समायोजित किया जाएगा जो उस स्तर, जिससे उसका पूर्व पद संबंधित था, में रिक्त हो। यदि कोई भी ऐसा पद रिक्त नहीं है, तो वह अधिसंख्य या अस्थायी पद पर समायोजित किया जाएगा जो उचित स्वीकृति से इस स्तर में सृजित किया जाएगा तथा इस शर्त के साथ कि उस स्तर में पृथक रिक्ति होने पर समाप्त हो जाएगा।''।

40. उक्त नियमों में, नियम 47 में, **''वेतन** बैंड तथा ग्रेड वेतन**''** शब्द जहां कहीं भी आये के स्थान पर, **''**स्तर**''** शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

41. उक्त नियमों में, नियम 50 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''50. ठीक नीचे नियम के अधीन प्रदान लाभ के नियमित अनुक्रम के बाहर सरकार कर्मचारी वेतन की उच्चतर दर लेने के लिए हकदार है, जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह अपने–अपने नियमित अनुक्रम में होता। आगे प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि से अधिक सेवा की अवधि मूल संवर्ग में वापसी पर वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।''।

42. उक्त नियमों में, नियम 51 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''51. ठीक नीचे नियम का लाभ, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2016 के अधीन पात्रता के अध्यधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर प्रदान करने के संबंध में भी दिया जाएगा।''।

43. उक्त नियमों में, नियम 52 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''52. (1) कोई भी सरकार कर्मचारी हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में पुनः नियोजित होने तथा वेतन के अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिवार्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होगा। तथापि, अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या उससे पूर्व, सेवानिवृत्ति के बाद, सीधी भर्ती या अन्यथा से नियुक्ति इन नियमों के प्रयोजन के लिए पुनः नियोजन के रूप में समझी जाएगी।

(2) किसी पेंशनर (सैनिक पेंशनर भी शामिल है 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर या के बाद सेवानिवृत्त) का निम्नलिखित स्तर के किसी पद पर पुनः नियोजन पर वेतन, पेंशन (पेंशन के संशशित भाग सहित) घटाते हुए निम्नलिखित रूप में नियत किया जाएगा–

(क) अन्तिम धारित स्तर के समरूप स्तर के किसी पद पर, वेतन, अन्तिम प्राप्त वेतन के बराबर सैल में नियत किया जाएगा; या

(ख) अन्तिम धारित स्तर से उच्चतर स्तर के किसी पद पर, वेतन, अन्तिम प्राप्त वेतन के बराबर सैल या निम्नतर सैल, जो भी उपलब्ध हो, में नियत किया जाएगा, किन्तु प्रवेश स्तर वेतन से कम नहीं होगा;

(ग) यदि पुनः नियोजन पद का अधिकतम स्तर, अन्तिम धारित पद के वेतन स्तर से निम्नतर है, तो वेतन, पुनः नियोजन पद के अधिकतम स्तर पर नियत किया जाएगाः

परन्तु उपरोक्त खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन अनुज्ञेय वास्तविक वेतन जमा पेंशन, 2,24,100/– रूपए से अधिक नहीं होगा। नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी सैल में वेतन नियत करने के लिए सक्षम है किन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञेय वेतन से अधिक नहीं।

टिप्पण.– सेवानिवृत्ति उपदान (अर्थात् पी.ई.वी.) इस नियम के प्रयोजन के लिए पेंशन का भाग नहीं होगा।

(3) पुनः नियोजित पद पर अधिकतम छह मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई को वेतनवृद्धि अनुज्ञेय होगी।

उदाहरण 1.– श्री 'क' स्तर 8 में 58,600/– रूपए प्राप्त करते हुए अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी पेंशन, पेंशन के संराशित भाग सहित प्रति मास 29,300/– रूपए नियत की गई थी। उसे लोकहित में उच्चतर स्तर 9 के किसी पद पर पुनः नियोजित किया गया था। उसका वेतन, 58,000/– रूपए नियत किया जाएगा, किन्तु वास्तविक वेतन 58,000–29,300=28700/– रूपए अनुज्ञेय होगा।

उदाहरण 2.– श्री 'ख' स्तर 17 में 1,41,000/– रूपए प्राप्त करते हुए अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी पेंशन, पेंशन के संराशित भाग सहित प्रति मास 70,500/– रूपए नियत की गई थी। उसे लोकहित में स्तर 20 के किसी पद पर पुनः नियोजित किया गया था। उसका वेतन, न्यूनतम स्तर पर 1,82,200/– रूपए नियत किया जाएगा, किन्तु वास्तविक वेतन 1,82,200–70,500 = 1,11,700/– रूपए अनुज्ञेय होगा।

उदाहरण 3.– श्री 'एक्स' अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के बाद पुनः नियोजित किया गया था। उसका अन्तिम वेतन स्तर 9 में 1,28,600/– रूपए था और उसकी मूल पेंशन 64,300/– रूपए नियत की गई थी। उसे स्तर 6 के किसी पद पर पुनः नियोजित किया गया था। उसका वेतन स्तर 6 के अधिकतम तक नियत किया जाएगा अर्थात् 1,12,400/– रूपए, किन्तु वास्तविक वेतन 1,12,400–64,300= 48,100/– रूपए अनुज्ञेय होगा।''।

44. उक्त नियमों में, नियम 57 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''57. नीचे सूचीबद्ध दृष्टांतों में, वेतन की वृद्धिका अनुज्ञेय नहीं होगी, यदि कोई कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी उससे ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है:–

(क) जहां ज्येष्ठ असाधारण अवकाश पर है जिसके परिणामस्वरूप अगली वेतनवृद्धि की तिथि के स्थगन के फलस्वरूप वह स्वयं निम्नतर स्तर में अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करना शुरू करता है। इसलिए, ऐसे मामले में, ज्येष्ठ पदोन्नति पर वेतन की बराबरी का दावा नहीं कर सकता है यद्यपि वह उच्चतर स्तर में पहले पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि ज्येष्ठ पदोन्नति छोड़ता है/लेने से इन्कार करता है और उससे कनिष्ठ को पहले उच्चतर पद पर पदोन्नत/नियुक्त किए जाने पर कनिष्ठ ज्येष्ठ से उच्चतर वेतन प्राप्त करता है;

(ग) यदि ज्येष्ठ किन्हीं भी कारणों से कनिष्ठ के बाद उच्चतर पद ग्रहण करता है, जिससे वह अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है, जिससे वह अपने कनष्ठि से कम वेतन प्राप्त करता है। ऐसे मामलों में, ज्येष्ठ कनिष्ठ के समतुल्य वेतन के बराबर वृद्धिका का दावा नहीं करेगा अर्थात् एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति पर कनिष्ठ प्रथम जनवरी/जुलाई तथा ज्येष्ठ द्वितीय जनवरी/जुलाई को या उसके बाद पद ग्रहण करता है, तो कनिष्ठ का वेतन ज्येष्ठ से अधिक होगा;

(घ) यदि ज्येष्ठ ने फीडर पद पर कनिष्ठ के बाद कार्यग्रहण किया है जिससे वह अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है, ऐसे मामलों में भी, ज्येष्ठ उच्चतर पद में बराबरी वेतन का दावा नहीं करेगा, यद्यपि वह उच्चतर पद पर पहले पदोन्नत किया गया हो;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति निम्नतर से उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है उसका वेतन नियम 13 के अधीन निम्नतर पद पर ले रहे वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जाता है और उसकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अधिक वेतन मिलने की सम्भावना है जिसका वेतन विभिन्न नियमों के अधीन नियत किया गया है। उदाहरणार्थ एक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर ले रहे वेतन के सन्दर्भ में नियम 13 के अधीन नियत किया गया वेतन प्राप्त करता है, जबकि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का वेतन नियम

9 के अधीन नियत किया गया है। ऐसे मामलों में, सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ निम्नतर से उच्चतर पद पर पदोन्नत कनिष्ठ के साथ बराबरी के वेतन का दावा नहीं कर सकता है; चूंकि केवल ज्येष्ठता के रूप में वृद्धिका अनुज्ञात करने का कोई मानदण्ड नहीं है;

(च) जहां कोई कनिष्ठ सेवा की समयावधि के कारण स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, सरपलस घोषित होने पर किसी विभाग में समायोजन या अन्यथा से अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त करता है।

(छ) जहां समय–समय पर पुनरीक्षित या रूपान्तरित स्तर में वेतन के नियतन के लिए विकल्प की विभिन्न तिथि (तिथियों) के कारण कोई ज्येष्ठ अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है;

(ज) जहां कोई ज्येष्ठ एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर या सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर के प्रदान करने पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प की विभिन्न तिथि (तिथियों) के कारण कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है;

(झ) यदि कोई वरिष्ठ जिसे वेतन की कटौती या संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) इत्यादि रोकने का कोई दण्ड दिया गया है तथा कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है;

(ञ) यदि कोई वरिष्ठ, जिसे निलम्बित किया गया था और निलम्बन अवधि गैर–ड्यूटी के रूप में समझी गई है, अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है;

(ट) यदि कोई वरिष्ठ उच्चतर योग्यताओं को अर्जित करने पर या किसी वैयक्तिक उपाय या अन्यथा से उसको दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) के कारण अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त करता है।''।

45. उक्त नियमों में, नियम 66 में, ''स्तर'' शब्द के स्थान पर, "स्तर/सैल" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

46. उक्त नियमों में, नियम 72 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''72. पूर्ण रूप से अस्थायी आधार सहित तदर्थ आधार पर कार्य करते समय या जहां सेवाएं:–

(i) पद की समाप्ति; या

(ii) सेवामुक्त किए गए कर्मचारी द्वारा धारित पद पर कर्मचारी चयन आयोग या किसी अनुमोदित एजेन्सी द्वारा चयनित किसी उम्मीदवार के स्थानापन्न,

होने के कारण वृत्तिमूलक स्तर में वेतन प्राप्त करते समय समाप्त या सेवा मुक्त की गई हैं, तो हरियाणा सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य विभाग में उसी पद पर या समान या उच्चतर स्तर के पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन नियम 10 अथवा 11, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन नियत किया जाएगा बशर्ते कि सेवा की समाप्ति/सेवा मुक्ति के समय पर पूर्व सेवा का कोई भी पेंशनरी लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा आवेदन उचित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पण 1.– उपरोक्त प्रावधान वहां भी लागू होगा जहां पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन उस समय प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया था जब पदधारी सेवा में नहीं था।

टिप्पण 2.– तदर्थ सेवा की समाप्ति तथा नियमित आधार पर नियुक्ति के बीच की ब्रेक अवधि, यदि कोई हो, प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन माफ की जाएगी:–

(i) बाधा सरकारी कर्मचारी के नियन्त्रण के बाहर के कारणों से होनी चाहिए;

(ii) बाधा से पूर्व की सेवा दो वर्ष की अवधि से कम नहीं होनी चाहिए;

(iii) बाधा एक वर्ष से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण 3.– यह प्रावधान दण्ड के रूप में सेवा से हटाए जाने के बाद पुनःनियोजन पर लागू नहीं होगा।''।

पी० राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 26th February, 2018

No.1/13/2016-1PR(FD).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Civil Services(Pay) Rules, 2016 in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Services (Pay) Amendment Rules, 2018.

2. In the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, (hereinafter called the said rules) in rule 8, in sub-rule (a),—

(i) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :-

"(1) "ACP Level of a post" means the pay level higher than the functional level of a post admissible to a Government employee subject to completion of prescribed length of service and/or certain conditions. Where there is more than one level of a post, the first shall be the functional pay level, the next and subsequent shall be the ACP Level;

Note.— The Government employees appointed to a post(s) having more than one level admissible before completion of 8 years regular satisfactory service, they shall be entitled to get the benefit of 2nd and/or 3rd ACP level under General ACP Scheme after completion of 16 and 24 years regular satisfactory service from the date of appointment provided they have not already availed overall three financial up-gradations during his service career.**"**

(ii) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely :-

"**(4)** (a) **"basic pay"** of a *Government employee* means**—**

(i) the pay in the Functional/ACP Level; and

(ii) any other emoluments which specifically classed as basic pay by the *competent authority*

Note.— It does not include any other type of pay like special pay, personal pay, pay granted in lieu of his personal qualification or otherwise as a separate component."

(4) (b) "cell" means the stages prescribed in the functional or ACP level with enhancement of 3% rounded to nearest multiple of 100."

(iii) in clause (6), for the words "minimum of the functional pay scale," the words "first cell of the functional level" shall be substituted.

(iv) for clause (7) the following clause shall be substituted, namely :-

"(7) "functional level or functional pay structure" in relation to a Government employee means the functional level in pay matrix prescribed for the post held by him. It does not mean any other level in which the Government employee is drawing his pay as a measure personal to him with any other justification like length of service, or higher/additional qualification or upgradation of pay scale due to any other reason."

(v) for clause (8), the following clause shall be substituted, namely :-

"(8) "increment" means an enhancement in pay from one cell to another in the level applicable to a Government employee, which is admissible on the prescribed date, subject to completion of prescribed qualifying service without any increase in pay level and the same is admissible as a matter of course unless it is withheld."

(vi) after clause (8), the following clause shall be inserted namely :-

"(8a) "level" means a pay scale arranged in vertical cells**."**

(vii) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely :-

"(11) "pay matrix" means Matrix specified in the Schedule-I , (appended at the end of these rules) with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding **pay band and grade pay**/scale which were in existence prior to 01.01.2016."

(3) In the said rules, in rule 9, for the words and signs "On first appointment to a post, the entry level pay shall be fixed as under :**-"**

the words and signs

"On first appointment to a post, the e*ntry level pay* shall be fixed at first cell of the functional level as under:-" shall be substituted.

(4) In the said rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :-

"10 Fixation of pay on subsequent appointment to a post higher or identical to Functional/ACP Level.—On subsequent appointment to a post of level higher than or identical to functional or ACP level in the same or any other department of Haryana Government where the application for the same has—

(i) not been *submitted* through proper channel, *pay* shall be fixed at entry level pay of the post of *subsequent appointment* admissible under rule 9; or

(ii) been submitted through proper channel, the pay shall be fixed—

(a) at *entry* level pay of the post; or

(b) equal to the corresponding cell if available in the functional level of the new post; or

(c) at the next cell above the existing cell if the same cell is not available in the functional level of the new post.

Note 1.— *Where pay is fixed equal to entry level pay, the date of next increment in both the cases (i) and (ii) above shall be the 1st January or 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service before that date.*

Note 2.— *Where pay in the pay level is fixed equal to the pay already drawn, the date of next increment in (ii) above shall remain unchanged. However, where the pay is fixed under sub-clause (ii) of clause (c) above, the date of next increment shall be the 1st January or 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service before that date."*

(5) In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :-

"11 Fixation of pay on subsequent appointment to a post of lower than functional or ACP level.—On *subsequent appointment* from one post to another of lower level in the same or any other department of Haryana Government, while drawing pay in the higher level (Functional or ACP) the pay shall be fixed—

(i) equal to *entry level pay* as per provision contained in rule 9, if not applied through proper channel; or

(ii) by giving the notional benefit of past *qualifying service* in the same or *higher* pay structure which remained in existence from time to time, towards increment only in the pay structure of the post of *subsequent appointment* provided the application for subsequent appointment was submitted through proper channel. However, the past qualifying service of lower pay structure, if any, shall not be taken into account towards increment of higher pay structure of the post of subsequent appointment.

Note 1.— *Where pay is fixed under (i), the date of next increment shall be the 1st January or 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service before that date on the post of subsequent appointment.*

Note 2.— *Where pay is fixed under (ii), the date of next increment shall remain unchanged."*

(6) In the said rules, in rule 12, for the words "pay scale", the word "level" shall be substituted.

(7) In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely :-

13 Fixation of Pay on promotional post.—On appointment by promotion to a cadre post of level higher than the functional or ACP level, pay shall be fixed—

(i) with the benefit of one increment in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of promotional post and if no such Cell is available in that Level, he shall be placed at the next higher Cell; or

(ii) equal to entry level pay of the promotional post;

whichever is higher.

Note 1.— *For date of next increment see rule 37 infra.*

Note 2.— *Where there are two or more lines of promotion for a feeder post, in such case, for the purpose of these rules, the promotion from feeder post to any post shall be treated as promotion on a cadre post. However, on change of line of promotion, the service of previous promotional post shall be treated as service on an ex-cadre post and pay on the post of changed line shall be fixed with reference to presumptive pay of the feeder post the seniority of which has been kept in view at the time of promotion to a post of changed line.*

Example.— *A Clerk while drawing pay in functional level and having knowledge of shorthand was promoted to the post of Stenographer. His pay on the post of Stenographer has been fixed with the benefit of one increment of promotion. While working as Stenographer he was promoted to the post of Assistant w.r.t. his seniority of the post of Clerk, as per provision in the respective service rules. His pay on the post of Assistant*

shall be fixed w.r.t. his presumptive pay admissible to him in the pay scale of Clerk on the date of assuming charge of the post of Assistant. The service rendered by him as Stenographer shall be treated as service on an ex-cadre post.

(8) In the said rules, rule 14 shall be omitted.

(9) In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely :-

"The benefit of one increment shall be admissible on promotion from one post to another where functional pay structure of feeder and promotional posts have been clubbed/merged from or after 1st April, 1979 and at present the pay level of both the posts is same.

Note.— *The benefit admissible under this rule shall be treated as financial upgradation for the purpose of grant of benefit under Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2016."*

(10) In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely :-

"The benefit of one increment shall not be admissible on promotion from one post to another where the functional pay structure of feeder and promotional posts were same/identical prior to 1st April, 1979 or from the date of creation of post (feeder/promotional); and at present the pay structure of both the posts is also the same. In such cases, on promotion from one post to another, pay and date of increment shall remain unchanged.

Note.— *as the pay structure of promotional post has never remained higher than that of feeder post, therefore, the benefit of one increment of promotion shall not be admissible."*

(11) In the said rules, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely :-

"17 Pay on promotion or subsequent appointment while drawing special pay in lieu of higher time scale/Level.—

(1) On promotion or subsequent appointment from one post to another of identical, higher or lower level while drawing pay in functional or ACP level alongwith *special pay in lieu of higher time scale/Level,* the pay shall be fixed as per provision in the relevant rule; and

(2) Special pay in lieu of higher time scale of the *feeder or previous post* shall be converted into personal pay which will be subsumed in future increment provided the pay structure of promotional post or the post of subsequent appointment carries no special pay in lieu of higher time scale. Where feeder post carry special pay in lieu of higher time scale more than that of the promotional post or the post of subsequent appointment, the difference of special pay shall be converted into personal pay to be subsumed in future increment(s).

(3) The pay fixed above shall not be less than the entry level pay of promotional post.

Note 1.— *If special pay in lieu of higher time scale of feeder or previous post is more than that of the special pay of the promotional post or the post of subsequent appointment, the difference between special pay of both the posts shall be converted into personal pay to be subsumed in future increment.*

Note 2.— *Special pay of arduous nature of duties drawn before promotion or subsequent appointment shall not be converted into personal pay.*

Note 3.— *Where feeder or previous post carry special pay in lieu of higher time scale and promotional post or the post of subsequent appointment carry special pay of arduous nature of duties, the special pay in lieu of higher time scale shall be converted into personal pay to be subsumed in future increment."*

(12) In the said rules, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely :-

"(1) On premature promotion (i.e. promotion before the completion of prescribed experience) in public interest while drawing pay in the functional level, the pay for the period upto the date of completion of deficiency of prescribed experience, shall be fixed equal to—

(i) entry level pay of promotional post; or

(ii) presumptive pay in the level of feeder post,

whichever is more.

(2) After completion of prescribed experience, the pay shall be re-fixed under normal rules, as if the incumbent has been promoted on that day. At the time of re-fixation of pay of promotional post, presumptive basic pay of the feeder post shall be taken into consideration.

Note.— *the period of service from the date of premature promotion shall be counted for further promotion, if any."*

(13) In the said rules, for rule 19, the following rule shall be substituted, namely :-

"19 Pay on re-appointment by promotion on the same post after reversion.—

On re-appointment by promotion to a post previously held, the pay on promotional post shall be fixed ─

(i) at the cell already drawn at previous occasion; or

(ii) as admissible under these rules in case of promotion afresh,

whichever is more.

In case of fixation as at (i) above, the period of qualifying service of the same pay in the level previously drawn shall be taken into account at the time of computing minimum six months qualifying service for the purpose of grant of normal increment of promotional post. However, in case of (ii) above, the annual increment shall be admissible as per normal rules.

Note.─ *The 'same post' also includes the interchangeable promotional post of same level."*

(14) In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely :-

"20 Pay on promotion while drawing pay in ACP Level.—

On promotion to a post of level higher than ACP level drawn at the time of promotion, the pay shall be fixed ─

(i) in the level of promotional post with the benefit of one increment in the ACP level of feeder post; or

(ii) entry level pay of promotional post;

whichever is more advantageous. However, such benefit of promotion shall not be admissible where the level of promotional post is identical to or lower than the ACP Level in which the Government employee is drawing his pay before promotion.

Note.─ *If functional level of promotional post is identical to ACP level already drawn, the nomenclature of the ACP level shall be changed to functional level."*

(15) In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely :-

"21 Re-fixation of pay in the functional or ACP level.—

(i) On enhancement in presumptive pay in the functional level of feeder post, due to increment or otherwise, while working on promotional post, the pay of promotional post shall be re-fixed as if the incumbent has been promoted on the date of such enhancement, if it is advantageous to him.

(ii) Similar benefit of refixation of pay shall be admissible on enhancement in presumptive pay of ACP level where a Government employee has been promoted to higher post while drawing pay in the ACP level of feeder post."

(16) In the said rules, in rule 22, for the words "pay scale", the word "level" shall be substituted.

(17) In the said rules, rule 23 shall be omitted.

(18) In the said rules, rule 24 shall be omitted.

(19) In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely :-

"(1) Pay drawn on ex-cadre post of higher pay structure in the same or any other department shall not be protected on return to a post of parent cadre. However, the period of qualifying service of ex-cadre post in the level identical to or higher than that of the cadre post shall be counted towards increment in the level of cadre post(s). On return, the pay shall be re-fixed with reference to presumptive basic pay which may have been admissible had the appointment not been made on ex-cadre post.

(2) On reversion from ex-cadre post of lower level to cadre post of higher level, the pay shall be fixed equal to—

(i) last drawn pay at the previous occasion in the level of cadre post; or

(ii) the cell of ex-cadre post, if available, otherwise at the next cell in the level of cadre post;

whichever is more advantageous."

(20) In the said rules, for rule 26, the following rule shall be substituted, namely :-

"26 Pay on reversion from higher to lower level or from promotional to feeder post.—

On reversion from one post to another of lower level while drawing pay in functional level, on his own accord or due to administrative reasons, but not as a measure of punishment, the pay shall be fixed equal to the pay which would have been admissible in the lower level of feeder post on the date of reversion, had the promotion or appointment not been made on the post of higher level. The qualifying service of the higher level shall be counted towards increment in the level of feeder post."

(21) In the said rules, for rule 27, the following rule shall be substituted, namely :-

"27 Pay on modification of level after 01.01.2016.—

(1) Except as otherwise provided in any case, on modification of level from a date later than the 1st January, 2016, the modified level shall be admissible from the date of modification or option exercised by the Government employee.

(2) On modification of level from a date later than the 1st January, 2016, the pay shall be fixed at the same cell, if available in the modified level otherwise at the next cell but not less than first cell of the modified level.

Note.— *Where pay in the modified level is fixed more than the pay already drawn in the pre-modified level, the date of next increment shall be 1st January or 1st July subject to eligibility. If pay is fixed at the same cell in such case the date of next increment shall remain unchanged.*

(3) On modification of level of a post from a date after 1st January, 2016, 1st/2nd/3rd ACP level of that post shall be corresponding to the Grade Pay as on 01.01.2016. Where the modified functional level is identical to or higher than the ACP Level, on grant of ACP Level from a date after the date of modification of functional level, the pay shall be fixed identical to the cell at which it would have been admissible had the functional level not been modified, if identical is not available then at the immediate next level. The nomenclature shall be changed from functional to ACP Level."

(22) In the said rules, for rule 28, the following rule shall be substituted, namely :-

"28 Fixation of Pay on modification of level.—

(1) On modification of level (functional or ACP), the option shall be exercised within a period of three months from the date of order of the modification, for fixation of pay either from the date of modification or from the date of next increment, whichever is more beneficial. If no response is received within the prescribed period from the concerned Government employee, the date of modification of level shall be deemed to be the date of his option for the purpose of fixation of pay.

(2) Where modified level is opted from the date of next increment, in such case the existing pay in the pre-modified level shall be admissible upto that period.

(3) Option once exercised shall be final and shall not be changed in any circumstances except where the pay is re-fixed with retrospective effect from a date prior to the date of effect of modification of level."

(23) In the said rules, for rule 29, the following rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Head of office shall be competent authority to allow annual increment in normal course to subordinates working under him. The increment to Head of office shall be allowed by the next designated higher authority.

(2) On promotion to a post of higher level on the date of normal increment, first the normal increment in the level of feeder post shall be granted, if otherwise admissible under the rules on that day, thereafter, the pay shall be fixed in the level of promotional post.

(3) In case of death while in service, the normal increment on the 1st January or 1st July shall, subject to eligibility, be granted to the Government employee—

(a) actually, in case of death on the 1st January or 1st July while not on leave; and

(b) notionally, in case of death on or after the 1st January or 1st July while on leave provided the same would have been admissible had he been on duty on the date of death.

(4) Advance or non-compoundable increment(s) which are granted as a result of passing of certain examination, higher qualification or otherwise, shall be regulated by the relevant rules and orders issued from time to time by the competent authority.

Note.— *No benefit of increment shall be admissible to a Government employee who is not in service on the 1st January or 1st July, as the case may be.*"

(24) In the said rules, in rule 30,

(i) existing clauses (a) and (b) shall be renumbered as (b) and (c) respectively;

(ii) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) The period of service treated as qualifying in rule 8 (16) *ibid;*

(25) In the said rules, for rule 31, the following rule shall be substituted, namely :-

"31 Rate of increment in Pay Matrix.—

The increment in the pay matrix shall be specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix."

(26) In the said rules, for rule 32, the following rule shall be substituted, namely :-

"32 Date of Increment.—

(1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

Provided further that a Government employee who does not complete six months qualifying service before the date of normal increment due on 1st July or 1st January, as the case may be, his date of next increment shall be changed to 1st January or 1st July and shall be granted subject to admissibility.

(2) The date of next increment of a Government employee, who has been appointed or promoted or granted ACP level during the period between the—

(i) 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive), shall be the 1st day of January;

(ii) 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be the 1st day of July."

(27) In the said rules, in rule 33, for the figure and words "1st July" wherever occurring, the figures and words " 1st January or 1st July" shall be substituted.

(28) In the said rules, for rule 34, the following rule shall be substituted, namely :-

"34 Date of increment if there is holiday on 1st January or 1st July.—

When a Government employee who has been appointed or promoted to a post is otherwise able to join his duty but could not join due to holiday, or series of holidays, falling on 1st of January or 1st July, and joins on forenoon of 1st working day of the month of January or July, i.e. on or after 2nd January or 2nd July, he shall be treated to have completed 6 months qualifying service upto 30th June or 31st December of that year for the purpose of grant of normal increment provided the same shall have been admissible to him on 1st July or 1st January, had there been no holiday or series of holidays on 1st January or 1st July. However, the pay shall be admissible from the date of actually joining duty and not from 1st January or 1st July. In all other cases the date of increment shall be 1st January or 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service before that date."

(29) In the said rules, for rule 35, the following rule shall be substituted, namely :-

"Where the qualifying service is less than six months before the date of next increment, on whatsoever reason, such as due to extraordinary leave without medical certificate, period of dies non, undecided suspension period, treatment of suspension period as non-duty, period of un-authorized absence, etc., it shall have the effect of postponing the increment and such case shall be re-considered on 1st January or 1st July and increment shall be granted subject to completion of minimum six months qualifying service before that date."

(30) In the said rules, rule 36, the following rule shall be substituted, namely :-

"36 Increment on 1st January or 1st July while on duty.—

When a Government employee is not actually present in office on the date of his next increment (*i.e.* on 1st January or 1st July) but under the rules he is on duty, like on training, tour, compulsory waiting period, availing joining time, vacation or otherwise, the normal increment shall be granted if the same shall have otherwise been admissible had he been in office on that day."

(31) In the said rules, for rule 37, the following rule shall be substituted, namely :-

"37 Grant of Advance increment.—

A Government employee who performs work of exceptional merit may be granted advance increment(s) instead of additional increment(s) subject to following conditions:-

(i) The maximum age of the concerned Government employee shall not exceed 55 years.

(ii) He should have never been punished either under Rule 7 or 8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules remained in existence from time to time.

(iii) It shall not be granted on one or more isolated incidents as the entire service record is the criteria for grant of advance increment.

(iv) It shall be given with effect from 1st January or 1st July and for a limited period i.e. up to the date of next increment."

(32) In the said rules, for rule 38, the following rule shall be substituted, namely :-

"On appointment by direct recruitment to a post where, as per provision in service rules, passing of any departmental test or fulfilling other conditions is a pre-requisite to get the normal increment and the same is qualified/fulfilled before the date of first increment due on the 1st January or 1st July, as the case may be, the normal increment shall be granted on the 1st January or 1st July if otherwise admissible. If the same is qualified thereafter, the increment(s) shall be granted notionally from the due date(s) at the rate applicable from time to time and actually from the last date of appearance of test(s) which has/have been qualified;

Provided that on appointment by promotion to such a post, the presumptive basic pay of feeder post shall, if it is more advantageous, be admissible till qualifying the departmental test or fulfilling of other conditions prescribed for normal increment of promotional post."

(33) In the said rules, for rule 39, the following rule shall be substituted, namely :-

"39 Increment after maximum of the level.—

Where a Government employee arrives at maximum of the level he shall not be entitled to any increment above the maximum or last cell of his level."

(34) In the said rules, in rule 40, for the figure and words "1st July", the figurers and words "1st January or 1st July shall be substituted.

(35) In the said rules, in rule 41, for the Explanations 1 and 2, the following Explanations shall be substituted, namely :-

"Explanation 1.— *If a punishment of 'withholding of three increments without cumulative effect' is awarded, the same shall be effective from the date of next increment due on the 1st January or 1st July, as the case may be. In such case normal increment shall be granted notionally for a period of three consecutive years and actually from the 1st January or 1st July, as the case may be, of fourth year, if otherwise admissible, alongwith restoration of three increments granted notionally previously.*

Explanation 2.— *If punishment of 'withholding of three increments with cumulative effect' is awarded, no normal increment shall be admissible for a period of three consecutive years. On the 1st January or 1st July of fourth year, only one normal increment shall be allowed, if otherwise admissible."*

(36) In the said rules, in rule 43, for the words "pay band", the word "level" and for the word "stage", the word "cell", wherever occurring shall be substituted.

(37) In the said rules, for rule 44, the following rule shall be substituted, namely :-

"44 Reduction to lower post or level.—

(A) While drawing pay in functional level—

On reduction to a feeder post as a measure of punishment, the pay shall be fixed equal to presumptive pay in the—

(i) functional level of feeder post which would have been admissible had he not been promoted; or

(ii) one step down in ACP level of feeder post if he was promoted while drawing pay in ACP level of feeder post which is identical to functional level of promotional post held at the time of punishment.

Once the pay is fixed in lower level, the annual increment(s) shall be admissible under the normal rules. On re-appointment by promotion on the same post, in both the cases the pay shall be regulated under rule 19.

(B) While drawing pay in ACP level.—

If punishment of reduction to lower level is awarded while drawing pay in—

(i) ACP level of the post held; or

(ii) ACP level of the feeder post but working on the promotional/ higher post,

the ACP level last granted shall be deemed to have been withdrawn automatically. In such case the pay shall be fixed equal to the presumptive pay in the functional or ACP level which would have been admissible had the last ACP level not been granted. On completion of duration of punishment the pay shall be fixed under normal rules but not less than the pay already drawn at the time of punishment."

(38) In the said rules, for rule 45, the following rule shall be substituted, namely :-

"Every order passed by a competent authority imposing the penalty of withholding of increment, reduction to a lower post/level or withdrawal of ACP level shall be definite and clear and in the form as given below:-

It is, therefore, ordered that**—**

Shri _____ is awarded a punishment of withholding of _____ increment(s) with/without cumulative effect. The currency of the effect of punishment shall automatically stand extended if he otherwise becomes ineligible for any normal increment(s) due on the 1st January or 1st July. The effect of punishment shall continue even if the level is changed on whatsoever reason during the currency of punishment.

OR

Shri _____ is awarded a punishment of reduction of pay from cell of Rs. _____ to _____ in his level for a period from _____ to _____. He shall/shall not earn annual increment during the period of punishment. Further, his pay shall be fixed Rs. _____ after the expiry of punishment period, i.e. equal to the pay which would have been admissible to him had he not been awarded this punishment or the pay already drawn before punishment.

OR

Shri _____ is awarded a punishment of withdrawal of ACP level. He shall draw the presumptive basic pay which would have been admissible had he not been granted the last ACP level being withdrawn for a period from _____ to _____.

OR

Shri _____ is awarded a punishment of reduction from the post of _____ to _____. His pay in the level of the post on which he has been reverted shall be fixed equal to the presumptive pay which would have been admissible to him had he not been appointed on promotional post."

(39) In the said rules, for rule 46, the following rule shall be substituted, namely :-

"(46) Re-fixation of pay when an order of punishment is set aside or modified.—

Where an order of penalty of withholding of increment, reversion to lower post/ service, reduction in Pay, withdrawal of ACP etc. is set aside or modified by a competent authority on appeal or review, the pay shall, notwithstanding anything contained in these rules, be regulated in the following manner:-

(a) If the said order is set aside, the difference between the pay which would have been admissible had the punishment not been awarded shall be given for the period such order remained in force;

(b) If the said order is modified, the pay shall be regulated as if the order so modified had been made in the first instance.

Explanation.— If the pay is refixed in respect of any period prior to the issue of orders of competent reviewing or appellate authority, the difference of due and drawn (other than Travelling Allowance), if any, admissible during that period shall be paid.

Note 1.– In respect of cases falling under clause (a) of this rule, the qualifying service of the lower level, post or at lower cell due to withholding of increment(s), from the date of imposition of such penalty by the punishing authority to the date on which the order of penalty is set aside by the competent reviewing or appellate authority, shall count towards increment and for other purposes for the post which was being held immediately before the imposition of the penalty or any other post which shall have been held but for the order of penalty.

Note 2.— In respect of cases falling under clause (b) of this rule, the qualifying service from the date of imposition of the penalty by the punishing authority to the date on which the order is modified by the reviewing or appellate authority, shall be counted towards increment and for other purposes for the post which was being held immediately before the imposition of the penalty or any other post which shall have been held but for the order of penalty, to the extent, the modified order permits for such counting.

Illustration.— An officer in Level 14 is reverted to a post of Level 12 for a period of, say two years, and after six months, the order of punishment of reversion to lower post of Level 12 is set aside by the appellate authority, the period of six months shall count for increment in level 14 held before punishment. If, on the other hand, the order of penalty is modified as reduction to a lower level for a specified period or withholding

of increment in that level for specified period, the period that has already elapsed since the date of imposition of the original penalty shall be taken into account only for the purpose of computing the specified period of penalty under the modified order.

Note 3.– A post vacated by a Government employee reverted to lower post/service as a measure of punishment shall not be filled substantively until the expiry of a period of one year from the date of such reversion. Where on the expiry of period of the one year, the post is filled and the original incumbent of the post is reinstated thereafter, he shall be accommodated against any post which may be vacant in the grade to which his previous post belonged. If there is no such vacant post, he shall be accommodated against a supernumerary or temporary post which shall be created in this grade with proper sanction and with the stipulation that it shall be terminated on the occurrence of the first vacancy in that grade."

(40) In the said rules, in rule 47, for the words "pay band and grade pay", wherever occurring the word "level" shall be substituted.

(41) In the said rules, for rule 50, the following rule shall be substituted, namely :-

"A Government employee outside the regular line granted the benefit under 'next below rule' is entitled to draw the higher rate of pay to which he would have been entitled had he been in his regular line. Further, the period of qualifying service from the date of proforma promotion shall be counted for the purpose of increment on return to parent cadre."

(42) In the said rules, for rule 51, the following rule shall be substituted, namely :-

"The benefit of next below rule shall also be extended in regard to grant of ACP Level subject to eligibility under Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2016".

(43) In the said rules, for rule 52, the following rule shall be substituted, namely :-

"(1) No Government employee shall retire from service before attaining the age of superannuation with a view to being re-employed and drawing pension in addition to pay, whether in any Department or *Organization* under Haryana Government. However, appointment after retirement, on or before attaining the age of superannuation, by way of direct recruitment or otherwise, shall be treated as re-employment for the purpose of these rules.

(2) On re-employment of a pensioner (including military pensioner retired on or after attaining the age of 55 years) to a post of level—

(a) identical to level last held, the pay shall be fixed at the cell equal to the last drawn pay; or

(b) higher than the level last held, the pay shall be fixed at the cell equal to the last drawn pay or at the lower cell, whichever is available, but not less than entry level pay.

minus pension (including commuted portion of pension);

(c) if maximum of the level of the re-employed post is lower than the pay last held, the pay shall be fixed at maximum of the level of re-employed post, minus pension (including commuted portion of pension):

Provided that the actual *pay admissible* under clause (a), (b) or (c) above plus pension shall not exceed Rs. 2,24,100. The appointing authority shall be competent to fix pay at any cell but not more than the pay admissible under this rule.

Note.— *The retirement gratuity (i.e. PEG) shall not be a part of pension for the purpose of this rule.*

(3) The increment shall be admissible on the 1st January or 1st July subject to completion of minimum six months qualifying service on re-employed post.

Illustration 1.— Mr. 'A' while drawing pay Rs.58,600 in Level 8 was retired from service on attaining the age of superannuation. His Pension including the commuted portion of pension was fixed Rs. 29,300 p.m. He was re-employed in public interest to a post of higher level 9. His Pay shall be fixed Rs. 58,000, but actual pay shall be admissible Rs. 58,000 minus 29300 = 28,700.

Illustration 2.— Mr. 'B' while drawing pay Rs. 1,41,000 in Level 17 was retired from service on attaining the age of superannuation. His Pension including the commuted portion of pension was fixed Rs.70,500 p.m. He was re-employed in public interest to a post of level 20. His Pay shall be fixed Rs. 1,82,200, at minimum of the level but actual pay shall be admissible Rs.1,82,200 minus 70,500 = 1,11,700.

Illustration 3.— Mr. 'X' was re-employed after attaining the age of superannuation. His last pay drawn was Rs. 1,28,600 in level 9 and his Basic Pension was fixed Rs. 64,300. He was re-employed on a post of level 6. His pay shall be fixed upto maximum of the level 6 i.e.1,12,400 but actual pay shall be admissible Rs.1,12,400 minus 64,300 = 48,100."

(44) In the said rules, for rule 57, the following rule shall be substituted, namely :-

"In the instances listed below, stepping up of pay shall not be admissible even if a junior Government employee is drawing more pay than that of senior Government employee:-

(a)	Where a senior proceeds on extraordinary leave resulting in postponement of date of next increment, consequently he starts drawing less pay than that of his junior in the lower level itself. Therefore, in such case senior shall not claim pay parity on promotion even though he has been promoted earlier to the higher level.
(b)	If a senior forgoes/refuses promotion leading to his junior being promoted/ appointed to the higher post earlier, junior draws higher pay than the senior.
(c)	If a senior joins the higher post later than the junior, for whatsoever reasons, whereby he draws less pay than that of junior. In such cases, senior shall not claim stepping up of pay at par with the junior. e.g. on promotion from one post to another junior joins on 1st January/July and senior joins on 2nd January/July or thereafter, the pay of junior shall be more than that of senior.
(d)	If a senior has joined later than the junior in the feeder post whereby he is in receipt of less pay than that of junior, in such cases also the senior shall not claim pay parity in the higher post though he shall have been promoted earlier to the higher post.
(e)	Where a person is promoted from lower to a higher post, his pay is fixed with reference to the pay drawn on the lower post under rule 13 and he is likely to get more pay than a direct appointee whose pay is fixed under different set of rules. For example, a Junior Scale Stenographer on promotion to the post of Senior Scale Stenographer gets his pay fixed under rule 13 with reference to the pay drawn on the post of Junior Scale Stenographer, whereas the pay of direct recruit Senior Scale Stenographer is fixed under rule 9. In such cases, the senior direct recruit cannot claim pay parity with the junior promoted from a lower post to higher post as seniority alone is not a criteria for allowing stepping up.
(f)	Where a junior gets more pay than his senior due to length of service, appointment by transfer, adjustment in any department after being declared surplus or otherwise.
(g)	Where a senior draws less pay than that of junior due to different date(s) of option for fixation of pay in the pay band revised or modified from time to time.
(h)	Where a senior draws less pay than that of junior due to different date(s) of option for fixation of pay on promotion from one post to another or grant of ACP pay scale.
(i)	If a senior who has been awarded any punishment of reduction of pay or withholding of increment(s) with cumulative effect etc. and is drawing less pay than that of junior.
(j)	If a senior, who was placed under suspension and the period of suspension has been treated as non-duty, is drawing less pay than that of junior.
(k)	Where a junior gets more pay than his senior due to additional increment(s) granted to him on acquiring higher qualifications or as a personal measure or otherwise."

(45) In the said rules, in rule 66, for the word "stage", the words" stage/cell" shall be substituted.

(46) In the said rules, for rule 72, the following rule shall be substituted, namely :-

"On subsequent appointment on the same post or the post of same or higher level in the same or any other department under Haryana Government while working on adhoc basis, including purely temporary basis or where services are terminated or discharged while drawing pay in the functional level due to—

(i) abolition of post; or

(ii) replacement by a candidate selected by the Staff Selection Commission or any Approved Agency against the post held by discharged employee, the pay shall be fixed under Rule 10 or 11, as the case may be, provided no pensionary benefit has been availed of the past service at the time of termination/discharge from service and the application has been submitted through proper channel.

Note 1.— The above provision shall also be applicable where application for subsequent appointment was submitted directly at the time when the incumbent was not in service.

Note 2.— Period of break, if any, between termination of adhoc service and appointment on regular basis shall be condoned by the Administrative Department subject to the following conditions:-

(i) The interruption should have been caused by reasons beyond the control of the Government employee.

(ii) Service preceding the interruption shall not be less than two years' duration.

(iii) The interruption shall not be more than one year's duration.

Note 3.— This provision shall not be applicable on re-employment after removal from service as a measure of punishment."

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

56036—C.S.—H.G.P., Chd.